भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 971
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक पोर्टलों की खराब डिजिटल अवसंरचना

971. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की वेबसाइटों पर निर्णयों, आदेशों, वाद सूचियों और दैनिक कार्यवाहियों के विलंबित या असंगत अपलोडिंग की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बार-बार डाउनटाइम, पुराने उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, गैर-मानकीकृत प्रारूप और टूटे हुए लिंक जैसे मुद्दे न्यायिक जानकारी तक जनता की पहुँच को प्रभावित कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेषकर निचली न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों जैसे न्यायालयों की वेबसाइटों की कोई तकनीकी ऑडिट या निष्पादन समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं ;

(घ) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सामग्री का मानकीकरण और डिजिटल अवसंरचना में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं ; और

(ङ) क्या देश भर में न्यायालयों की वेबसाइटों के निष्पादन और पहुँच पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी तंत्र या डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति पणधारियों के हितों के लिए निर्णयों और आदेशों

को समय पर और निरंतर अपलोड करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित केस इन्फारमेशन प्रणाली सिस्टम (सीआईएस) सॉफ्टवेयर, वादियों और नागरिकों की जानकारी के लिए निर्णयों, न्यायालयों के आदेशों, वाद सूचियों और दैनिक कार्यवाहियों के प्रकाशन की सुविधा प्रदान करता है, जो ई-कोर्ट परियोजना के विभिन्न सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से इन दस्तावेजों का अभिगम कर सकते हैं ।

इसके अलावा, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन शुरू किया गया राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) 25.60 करोड़ अदालती मामलों और 31.78 करोड़ अंतरिम आदेशों व निर्णयों से संबंधित डेटा संग्रहीत करता है। वाद सूचियों और अदालती आदेशों की वास्तविक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसएमएस अलर्ट, मोबाइल एप्लिकेशन और समर्पित पोर्टल जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जिन अदालती मामलों की सुनवाई की अगली तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, उनका विवरण एनजेडीजी पर उपलब्ध है। इसके अलावा, ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित जस्टिस ऐप के माध्यम से न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को मामलों की कुशल मानीटरी की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) : सभी ई-न्यायालय पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की क्लाउड सुविधा (मेघराज 2.0) पर होस्ट किए गए हैं। उपयोगकर्ताओं की निर्बाध अभिगम सुनिश्चित करने के लिए, इन पोर्टलों का भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा, ई-कोर्ट परियोजना का उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), पुणे नेटवर्क और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की स्थिति की निरंतर मानीटरी के लिए एक स्वचालित मानीटरी पोर्टल का उपयोग करता है । किसी भी अप्रत्याशित डाउनटाइम या आउटेज की स्थिति में, टीम तुरंत उपचारात्मक उपाय करती है। हालाँकि, कभी-कभी, महत्वपूर्ण रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए नियोजित डाउनटाइम किया जाता है।

(ग) से (घ) : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के भाग के रुप में, जिला न्यायालयों की वेबसाइटों को S3WAAS (सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट एज़ अ सर्विस) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है। S3WAAS प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वेबसाइटों का NIC और CERT-in के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक ऑडिट किया जाता है। ई-कोर्ट परियोजना के अधीन विकसित अन्य वेबसाइट राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट की जाती हैं । परिणामस्वरूप, वेबसाइट सुरक्षित और सुलभ बनी रहती हैं।

न्यायिक सूचना का अभिगम और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के अधीन अनेक उपाय किए गए हैं । केस सूचना प्रणाली से आदेश, निर्णय और वाद सूचियों सहित डेटा को लगभग वास्तविक समय में राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर दोहराया जाता है । प्रत्येक न्यायालय परिसर में एक समर्पित टीम इन गतिविधियों की मानीटरी करती है। इसके अतिरिक्त, देश के सभी न्यायालयों में एक मानकीकृत राष्ट्रीय कोर केस सूचना प्रणाली लागू की गई है। न्यायालयों में डिजिटल अवसंरचना के संबंध में, इसे ई-कोर्ट परियोजना के भाग के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जा रहा है । जिला और उच्च न्यायालय स्तर पर, न्यायालयों के प्रदर्शन, कार्यावधि और डेटा सटीकता पर

नज़र रखने के लिए समर्पित टीमें कार्यरत हैं। आज की तारीख तक, **उपाबंध-1** में दिए गए विवरण के अनुसार,18,735 न्यायालयों को डिजिटल अवसंरचना प्रदान की जा चुकी है ।

****

<u>उपाबंध- 1</u>

न्यायिक पोर्टलों के खराब डिजिटल बुनियादी ढांचे से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 971 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं .	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसरों की संख्या	न्यायालयों की संख्या
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नगर हवेली	1	3
		दमन और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	**दिल्ली**	**6**	**681**
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नगालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
कुल			**3452**	**18735**

****